JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

"भारत में लिंग समानता की स्थिति पर एक विचार"

Dr.Alka Singh

Assistant Professor, Department of Education, Dr. C.V.Raman University,Kota Bilaspur(C.G.)

"समानता एक सुंदर और सुरक्षित समाज की वह नींव है जिस पर विकास रूपी इमारत बनाई जा सकती है।'

सारांश

स्त्री और पुरुष दोनों ही ईश्वर की अमूल्य कृतियों में से एक है ईश्वर की दो आंखों के समान है ईश्वर कृत सृष्टि के संचालन में नारी की अहम भूमिका है किंतु भारत में आदिकाल से ही स्त्रियों को परिवार व समाज में, प्रत्येक दृष्टिकोण से तुच्छ ही माना जाता है।भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाले के अनुसार, "पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था हैं, जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता हैं, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है।" पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिन्दू, मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हों, से प्राप्त की हैं। प्राचीन भारतीय हिन्दू कानून के निर्माता मनु के अनुसार, "ऐसा माना जाता हैं कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं हैं।" लड़की को बचपन से शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसके पिता के घर को छोड़कर पति के घर जाना पड़ेगा इसलिए, अच्छी शिक्षा के अभाव में वर्तमान में नौकरियों कौशल माँग की शर्तों को पूरा करने में लड़कियां सक्षम हो जाती हैं, वहीं प्रत्येक साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में लड़कियों का परिणाम लड़कों से अच्छा होता है।अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि महिलाओं के साथ असमानता और भेदभाव का व्यवहार समाज में, घर में, और घर के बाहर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है।हमारे समाज के विकास के लिये लैंगिक समानता अति आवश्यक है। महिला और पुरुष समाज के मूल आधार है। समाज में लैंगिक असमानता सोच–समझ कर बनाई गई एक खाई है, जिससे समानता के स्तर को प्राप्त करने का सफर बहुत मुश्किल हो जाता है। लैंगिक असमानता की इस खाई को दूर करने में हमें अभी मीलों चलना होगा। इस लेख में लैंगिक असमानता के कारणों पर न केवल चर्चा की जाएगी बल्कि इस समस्या का समाधान तलाशने का प्रयास भी किया जाएगा।

मुख्य शब्द – लिंग, समानता, पितृसत्तात्मकता

लिंग समानता से अभिप्राय

लिंग समानता से अभिप्राय है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ उनके लिंग (पुरुष, महिला, या अन्य) के आधार पर कोई भेदभाव न हो और सभी को समान अधिकार, अवसर, और सम्मान मिले। इसका उद्देश्य समाज में हर व्यक्ति को

उनकी क्षमता के अनुसार विकसित होने और योगदान देने का अवसर प्रदान करना है। अर्थात लिंग समानता का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उनके लिंग के आधार पर भेदभाव न हो और हर किसी को समान अवसर और अधिकार दिए जाएं। यह एक स्वस्थ, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

लिंग समानता का महत्वः

1.समान अवसर

शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य सेवाओं, और अन्य संसाधनों तक समान पहुंच होनी चाहिए।

2.भेदभाव से मुक्ति

लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव, जैसे महिला को कमतर मानना या पुरुषों पर अलग जिम्मेदारियां थोपना, को समाप्त करना।

3.समान अधिकार

कानून और समाज में सभी लिंगों को समान अधिकार मिलने चाहिए, जैसे संपत्ति का अधिकार, वोट देने का अधिकार, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता।

4.सामाजिक न्याय

यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग समान रूप से समाज में योगदान दें और उनके योगदान को समान रूप से महत्व दिया जाए।

उदाहरणः

एक महिला को उसी काम के लिए वही वेतन मिले जो एक पुरुष को मिलता है।
घर और ऑफिस में महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से जिम्मेदारियां दी जाएं।

लिंग समानता की आवश्यकता

लिंग समानता की आवश्यकता का मूल कारण यह है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकार और सम्मान मिल सके, और कोई भी लिंग आधारित भेदभाव का शिकार न हो। यह एक न्यायपूर्ण, विकसित और समावेशी समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य है।

लिंग समानता की आवश्यकता क्यों है?

1.भेदभाव समाप्त करने के लिएः

समाज में महिलाओं, पुरुषों और LGBTQ+ समुदाय के लोगों के साथ अक्सर भेदभाव होता है।

महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में पीछे रखा जाता है।

पुरुषों पर समाज की अपेक्षाओं का बोझ डाला जाता है।

LGBTQ+ समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है।

2.समाज का समग्र विकास के लिए:

जब सभी लोग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर सकें, तो समाज और देश तेजी से विकसित होते हैं।

महिलाओं के आर्थिक योगदान से GDP में वृद्धि होती है।

विविधता से कार्यस्थलों में रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ती है।

3.न्याय और मानवाधिकारों का पालन के लिए:

हर इंसान को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी लिंग का हो। यह मानवाधिकारों का मूल सिद्धांत है।

4.महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए:

लिंग असमानता के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जैसे घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और यौन उत्पीड़न, बढ़ती है। समानता से इन समस्याओं को कम किया जा सकता है।

5.आर्थिक समृद्धि के लिए:

कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी से आर्थिक विकास तेज होता है।

समाज में सभी वर्गों को समान अवसर देने से गरीबी और असमानता घटती है।

6.सामाजिक संतुलन और समरसता के लिए:

लिंग समानता से परिवार और समाज में शांति, सामंजस्य, और संतुलन बना रहता है।

लिंग समानता के अभाव में समस्याएं

महिलाओं की शिक्षा और रोजगार में कमी।

लैंगिक हिंसा और उत्पीड़न में वृद्धि।

कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव।

LGBTQ समुदाय के अधिकारों का हनन।

समाज का धीमा विकास और संसाधनों का कम उपयोग।

लिंग समानता केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत और समृद्ध समाज के निर्माण की आधारशिला है। इससे सभी लोग, चाहे उनका लिंग कोई भी हो, अपने जीवन में पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकते हैं।

भारत में लिंग असमानता की स्थिति –

भारत में लिंग असमानता एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति और सामाजिक व्यवहार के कई पहलुओं में दिखाई देता है। हाल के वर्षों में सुधार की दिशा में प्रयास हुए हैं, लेकिन लिंग आधारित असमानता अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

शिक्षा में असमानता

भारत में लड़कियों की साक्षरता दर (68.4%) लड़कों की साक्षरता दर (84.7%) से कम है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है।

बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा तक पहुंचने में बाधाएं आती हैं।

रोजगार और आर्थिक भागीदारी

महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

2022 में, भारत में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर केवल 23% थी।

समान काम के लिए समान वेतन की कमी है।

महिलाओं को असंगठित क्षेत्र में अधिक रोजगार मिलता है, जहां सुरक्षा और स्थिरता का अभाव है।

स्वास्थ्य और पोषण में असमानता

महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की कम पहुंच है, विशेषकर ग्रामीण और गरीब वर्गों में।

भारत में कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और लड़कियों की संख्या अधिक है।

मातृ मृत्यु दर अभी भी चिंता का विषय है, हालांकि इसमें सुधार हुआ है।

राजनीति और निर्णय निर्माण में कमी

महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व पुरुषों की तुलना में बहुत कम है।

2024 तक, भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14ः थी।

पंचायत स्तर पर आरक्षण से कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन निर्णय निर्माण में उनकी भूमिका सीमित है।

लैंगिक हिंसा और उत्पीड़न

भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध, जैसे दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, और यौन उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर मौजूद हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (छब्त्ठ) के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

LGBTQ समुदाय के साथ भेदभाव और हिंसा की घटनाएं भी आम हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक असमानता

महिलाओं और लड़कियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण अभी भी रूढ़िवादी है।

पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित मानी जाती है।

बेटों को बेटियों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है, जो लिंगानुपात (Gender Ratio) में असंतुलन का कारण बनता है।

लिंग असमानता के प्रमुख कारणः

पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना।

शिक्षा और जागरूकता की कमी।

कानूनी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना।

पारंपरिक और सांस्कृतिक रूढ़ियां।

आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की सीमित पहुंच।

सुधार के लिए किए गए प्रयासः

सरकारी योजनाएं और नीतियांः

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

इसकी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन–काल में शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। यह योजना तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय।

महिला शक्ति केंद्र–

भारत सरकार ने 22 नवंबर , 2017 को महिला शक्ति केंद्र योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। इस योजना में आकांक्षी जिलों में कॉलेज छात्र स्वयंसेवकों के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव के साथ–साथ महिलाओं के लिए जिला स्तरीय केंद्र (डीएलडब्ल्यू) और महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

मातृत्व लाभ योजना

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) प्रदेश के समस्त जिलों में ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013'' के तहत संचालित है। षमिशन शक्ति के श्सामर्थ्यश अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) स्वरूप में परिवर्तन करते हुए नवीन प्रावधान अनुसार योजना का क्रियान्वयन 01 अप्रैल 2022 से सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया है। योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल PMKVY&Soft के माध्यम से किया जा रहा है।

उज्ज्वला योजना (रसोई गैस सब्सिडी)।

कानूनी सुधारः

घरेलू हिंसा अधिनियम (2005)।

यौन उत्पीड़न अधिनियम (2013)।

समान पारिश्रमिक अधिनियम।

सामाजिक जागरूकताः

गैर–सरकारी संगठनों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी जा रही है।

भारत में लैंगिक समानता से संबंधित प्रमुख मुद्दे –

स्वास्थ्य सर्वेक्षण –5 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग एक तिहाई महिलाओं को शारीरिक व यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। महिलाओं और लड़कियों को अमूमन घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, दहेज संबंधी हिंसा तथा ऑनर किलिंग सहित विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है।

शिक्षा का समान अवसर–

हालांकि लड़कियों के शैक्षिक नामांकन में पिछले दो दशकों में वृद्धि हुई है तथा माध्यमिक शिक्षा तक लैंगिक समानता की स्थिति प्राप्त हो रही है लेकिन अभी भी उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का नामांकन पुरुषों की

तुलना में काफी कम है। महामारी से पहले भी, लड़कियों को लड़कों की तुलना में कक्षा में कभी पैर न रखने और समान अवसरों से वंचित होने की संभावना अधिक थी। संघर्ष, गरीबी और सामाजिक सुविधा के अन्य रूप भी शिक्षा में लैंगिक असमानता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाली लड़कियों की लड़कों की तुलना में स्कूल से बाहर होने की संभावना 2.5 गुना अधिक है। 2020 के अंत तक लगभग 9.7 मिलियन बच्चों को स्कूल से बाहर किए जाने का खतरा था, जिसमें लड़कियों को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।

संपत्ति स्वामित्व समानता

भारत में अधिकतम वर्ग में संपत्ति का स्वामित्व असमान है। भारत के अधिकांश हिस्सों में, सदियों से पारंपरिक संपत्ति अधिकार पुरुषों के पक्ष में रहे हैं। संपत्ति के दावों की अनुपस्थिति न केवल महिलाओं की आवाज को कम करती है, बल्कि उनके लिए वाणिज्यिक, आर्थिक और यहां तक कि कुछ सामाजिक गतिविधियों में प्रवेश करना और आगे बढ़ना भी मुश्किल बनाती है।भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर (वैधानिक स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संपत्ति पर महिलाओं को समान अधिकार है) किन्तु व्यावहारिक तौर पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है इसलिए उनके साथ पैतृक संपत्ति के अधिकार के मुद्दे में उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है।

अवैतनिक श्रम

भारत में महिलाएं अधिकतर घरेलू काम, बच्चों का लालन–पालन जैसे कई वेतन विहीन कार्य करती हैं। महिलाओं के रोजगार की अंडर–रिपोर्टिंग (Under&Reporting) की जाती है अर्थात् महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों और उद्योग पर कार्य करने को तथा घरों के भीतर किये गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू में नहीं जोड़ा जाता है।भारत में महिलाओं को सामान्यतः पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया वर्ष 2017–18 के नवीनतम आधिकारिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति (स्ंइवनत थ्वतबम) और कार्य सहभागिता (Work Participation) दर कम है। ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक मापदंड पर महिलाओं की आत्मनिर्भरता पुरुषों पर बनी हुई है। देश के लगभग सभी राज्यों में वर्ष 2011–12 की तुलना में वर्ष 2017–18 में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में गिरावट देखी गई है। इस गिरावट के विपरीत केवल कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों जैसे मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और दमन–दीव में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में सुधार हुआ है।

राजनीति के क्षेत्र में असमानता–राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर किसी प्रकार के है।उच्च संवैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिये राजनीतिक प्रतिभा के क्षेत्र में भारत लगातार अच्छा प्रयास कर रहा है इसी के परिणामस्वरूप वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक– 2020 के राजनीतिक सशक्तिकरण और भागीदारी मानक पर अन्य बिंदुओं की अपेक्षा भारत का 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ। मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़कर 23ः हो गई है तथा इसमें भारत, विश्व में 69 वें स्थान पर है।

निष्कर्ष

भारत में लिंग असमानता को समाप्त करने के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के स्तर पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। यह केवल महिलाओं या अन्य लिंग समूहों के विकास की बात नहीं है, बल्कि पूरे देश की प्रगति और समृद्धि इससे जुड़ी हुई है।

पुस्तकें

जैन, मोहिनी. (2015). लिंग समानता और महिला अधिकार. राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन.

यादव, सुषमा. (2018). महिला अधिकार और लिंग समानता. रावत पब्लिकेशन्स.

श्रीवास्तव, रीता. (2020). लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण. श्रीवास्तव पब्लिकेशन्स.

शर्मा, नीलम. (2019). महिला अधिकार और लिंग समानता के मुद्दे. दीप और दीप पब्लिकेशन्स.

तोमर, सुनीता. (2020). लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए नीतियाँ. राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन.

पत्रिकाएँ

महिला अधिकार और लिंग समानता पत्रिका. (2020). महिला अधिकार और लिंग समानता. नई दिल्ली.

लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण पत्रिका. (2019). लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण. मुंबई.

महिला अधिकार और लिंग समानता के मुद्दे पत्रिका. (2020). महिला अधिकार और लिंग समानता के मुद्दे. बैंगलोर.